भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096
Tel: 022-28294799/28294700
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz_mah@nic.in
****

F.No.SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/EPCES/68/2016-17/25248 26.08.2016

PUBLIC NOTICE No. 25/2016

Subject: Amendment to SEZ Rule 22(1) regarding exemptions, drawback and concessions – obtaining of Membership Certificate from EPCES.

This has reference to the Notification dated 05.06.2016 published on 08.08.2016 in the Gazette of India circulated to all the Zonal Development Commissioner SEZs vide communication no. C-2/2/2016-SEZ dated 11.08.2016 by Ministry of Commerce & Industry (Copy enclosed).

Attention is invited to Rule 2:

In the SEZ Rules, 2006 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub rule (1) after clause (zf), the following clause shall be inserted, namely:-

"(zg)Registration-cum-Membership Certificate " means the membership certificate issued by Export Promotion Council for EOUs & SEZs.

In the principal rules, in rule 22, in sub-rule (1), after clause(iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) The unit or the developer including co-developer shall obtain a Registration-cum-Membership Certificate for availing exemption, drawback and concessions."

Hence, all the concerned SEZ units are requested to enroll them with EPCES as its members or renew their membership with the council for the year 2016-17 so as to avail any permissible exemption, drawback, concessions, incentives, etc.

(V. P. Shukla)
Jt. Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ

To,

All SEZ Developers and Units

सत्यमेव जयते

विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र , भारत सरकार,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.
टेलि: 022-28294799 / 28294700
फैक्स: 022-28291754, ई-मेल : dcseepz-mah@nic.in

****

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/न्यूसेज़/ईपीसीईएस/68/2016-17/25248/ दिनांकः 26.8.2016

सार्वजनिक सूचना संख्या 25 / 2016

विषयः छूट, शुल्क वापसी तथा रियायतें - ईपीसीईएस से सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में सेज़ नियम (22)1 में संशोधन ।

यह भारत के राजपत्र में दिनांक 08.8.2016 को प्रकाशित दिनांक 11.8.2016 की अधिसूचना के संदर्भ में है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.8.2016 के पत्र द्वारा सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्तों, सेज़ों को परिचालीत किया गया (प्रतिलिपि संलग्न) ।

नियम 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैः-

"सेज़ नियमावली 2006 (जिसका इसमें आगे मुख्य नियमों के रूप में उल्लेख किया गया है) के नियम 2 के उपनियम 10 के पश्चात खंड (जेडएफ) में निम्नानुसार खंड अंतर्विष्ट किया जाता है अर्थातः-

"(जेडजी) पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र से तात्पर्य है - ईओयू तथा सेज़ो के निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी सदस्यता प्रमाणपत्र ।"

मुख्य नियमावली के नियम 22 के उपनियम 1 में खंड (iv) के पश्चात निम्नानुसार खंड अंतर्विष्ट किया जाए अर्थातः-

"(v) यूनिट अथवा विकासकर्ता जिसमें सह विकासकर्ता भी शामिल हैं - छूट, शुल्कवापसी तथा रियायतों का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा ।"

अतएव, सभी संबंधित सेज़ यूनिटों से अनुरोध है कि वे 2016-17 के लिए ईपीसीईएस के साथ सदस्य के रूप में अपना नामांकन करवाएं अथवा परिषद के साथ अपनी सदस्यता का नवीकरण करवाएं ताकि वे स्वीकार्य छूट, शुल्कवापसी, रियायतों, प्रोत्साहन आदि का लाभ उठा सकें ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

प्रति,

1. सभी विकासकर्ता तथा यूनिट

BY Fax/Mail 6

No.C-2/2/2016-SEZ
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
SEZ Section

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated: 11th August, 2016

To

Zonal Development Commissioner
Special Economic Zones

Subject: Notification of Amendment- Amendment of SEZ Rules, 2006 for grant of power to issue RCMC to SEZ units by Export Promotion Council for EOUs and SEZs (EPCES)-Reg.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of Notification [G.S.R.771(E)] dated 5th August, 2016 published on 8th August, 2016 in the Gazette of India on the above mentioned subject for information/necessary action.

Encls. As above.

Yours faithfully,

(Aditya Narayan)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 011-2306 2496
Email: aditya.n@nic.in

12579
22/8/16

1759
19/8/16.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

5

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2016/श्रावण 17, 1938
No. 547] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

सां. का. नि. 771(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 2 के, उप नियम (1) में खण्ड (य च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(य छ) "रजिस्ट्री – सह – सदस्यता प्रमाणपत्र" से निर्यातोन्मुख यूनिटों और विशेष आर्थिक जोन को निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किया गया सदस्यता प्रमाण पत्र अभिप्रेत है।"।

3. मूल नियम में, नियम 22 के, उप–नियम (1) में खण्ड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

(v, "यूनिट या विकासकर्ता जिसके अंतर्गत सह - विकासकर्ता भी है छूट, वापसी और रियायतें प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रीकरण – सह – सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे ।"।

[फा. सं. सी-2/2/2016- एसईजेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 627(अ), तारीख 6 अगस्त, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

G.S.R. 771(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (herein after referred to as the principal rules), in rule 2, in sub rule (1) after clause (zf), the following clause shall be inserted, namely: -

"(zg) "Registration-cum-Membership Certificate" means the membership certificate issued by Export Promotion Council for Export Oriented Units and Special Economic Zones.".

3. In the principal rules, in rule 22, in sub-rule (1), after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

"(v) The Unit or the developer including co-developer shall obtain a Registration-cum-Membership Certificate for availing exemptions, drawbacks and concessions.".

[F. No. C-2/2/2016-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended vide G.S.R 627(E), dated the 6th August, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.